राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2971/2023

जगदीश प्रसाद मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेलवे) जयपुर एवं अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति बोर्ड।
2. पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) जयपुर राजस्थान, सदस्य सचिव।
3. दलवीर सिंह जीआरपी स्टेशन कोटा।
4. रमन लाल जीआरपी स्टेशन गंगापुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2023
आदेश की दिनांक : 25.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तुषार सारस्वत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **अनुपस्थित।**

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–1 और 2 ने आदेश दिनांक 22.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021–22 की पदोन्नति पाठयक्रम हेतु चयन सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को जानबूझकर असफल घोषित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने आदेश दिनांक 08.06.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा उप निरीक्षक के पद पर नियुक्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने वरिष्ठता और अन्य पात्रताओं पर विचार करने के साथ–साथ आवेदकों के दस्तावेजों और आवेदनों के निरीक्षण के बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की है जो उप निरीक्षक पद पर वर्ष 2021–22 की नियुक्तियों के लिए परीक्षा लिख सकते हैं और पात्र उम्मीदवारों की सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर रखा गया है। सूची सह आदेश दिनांक 07.07.2023 की प्रति अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी एवं अन्य पात्र अभ्यर्थियों को दिनांक 24.07.2023 को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है, उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने दिनांक 26.07.2023 (अनुलग्नक–4) को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें अपीलार्थी को सफल घोषित किया गया है और सफल अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम क्रम संख्या–6 पर रखा गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने लिखित परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद पात्र उम्मीदवारों को दूसरे दौर की आउटडोर

और साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाया है जो आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा दिनांक 04.08.2023 को आयोजित की जाएगी, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 04.08.2023 को दूसरे दौर की परीक्षा आयोजित करने के बाद अनौपचारिक रूप से अपीलार्थी को सूचित किया है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जल्द ही उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपीलार्थी एक योग्य उम्मीदवार है, यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 जैसे अन्य उम्मीदवारों से वरिष्ठ उम्मीदवार है और साथ ही अपीलार्थी को वर्ष 2020 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिली है, इसलिए उसके पास एक वर्ष की वरिष्ठता है जो अधिसूचना में मांगी गई थी (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को न्यायाधिकरण के समक्ष जाने और अपनी वरिष्ठता के संबंध में विशेष रूप से अपना प्रकरण स्थापित करने की स्वतंत्रता दी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को निर्देशित किया जावे कि वे अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021–22 में नियुक्ति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04.08.2023 को द्वितीय चरण की प्रक्रिया के तहत आउटडोर एवं साक्षात्कार का आयोजन पुलिस अकादमी जयपुर में सम्पादित किया गया। जिसमें चयन मण्डल द्वारा समस्त अभ्यार्थियों को सफल घोषित किया जाकर 02 अभ्यार्थी जो आरक्षित वर्ग के थे उन्हें सामान्य वर्ग की रिक्ती के विरुद्ध चयन किया गया। चयन मण्डल द्वारा दिनांक 04.08.2023 को तैयार की गयी बोर्ड प्रोसिडिंग अनुमोदन हेतु भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के प्रेषित किये जाने पर भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा आक्षेप अंकित कर चयन प्रक्रिया के रिव्यू किये जाने हेतु चयन मण्डल को अधिकृत किया गया। चयन मण्डल द्वारा दिनांक 05.09.2023 को वर्ष 2021–22 की जीआरपी रेंज में सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक की योग्यात्मक परीक्षा की बोर्ड प्रोसिडिंग दिनाक 04.08.2023 का रिव्यू हेतु चयन मण्डल की बैठक का आयोजन किया गया चयन मण्डल द्वारा जीआरपी रेंज में सामान्य वर्ग के 07 पदों के विरूद्ध सफल अभ्यार्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. श्री रमन लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल (एससी) सहायक उप निरीक्षक के द्वारा सेवा में भर्ती के समय आरक्षित वर्ग की छुट का कोई लाभ नहीं लेने के फलस्वरूप एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2021 के अनुसार मूल वरिष्ठता सूची में

कार्मिक वरिष्ठ होने तथा अनारक्षित वर्ग के कनिष्ठ कार्मिक का चयन होने से श्री रमन लाल सहायक उप निरीक्षक का अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध चयन किया गया है। जिसे आगामी वर्ष की उप निरीक्षक पुलिस के अनुसूचित जाति वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा।

2. अपीलार्थी (अनुसूचित जन जाति) सहायक उप निरीक्षक भर्ती पद कानिस्टेबल की मूल वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थी का चयन नहीं होने के कारण अपीलार्थी का कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2021 के अनुसार अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध चयन नहीं किया जाकर वर्ष 2021–22 में जीआरपी रेंज के सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक अनारक्षित वर्ग का पात्र अभ्यार्थी नहीं होने पर 01 पद रिक्त रखा गया है। जिसका भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है। संशोधित बोर्ड प्रोसिडिंग दिनांक 05.09.2023 की प्रति अनुलग्नक आर–1 के रूप में संलग्न है। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.09.2023 की प्रक्रिया को अनुमोदित किये जाने के पश्चात वर्ष 2021–22 की योग्यात्मक परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों को उप निरीक्षक पद की पदोन्नति पाठ्यक्रम हेतु चयन सूची पर लिया गया। आदेश दिनांक 22.09.2023 की प्रति अनुलग्नक आर–2 के रूप में संलग्न है।उपरोक्त प्रक्रिया चयन मण्डल द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में प्रदत्त प्रावधानानुसार पूर्ण की गयी है। जिसमें अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक का चयन प्रचलित नियमानुसार नहीं किया गया है। अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की प्रति अनुलग्नक आर–3 के रूप में संलग्न है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने पर यदि उनके लिये आरक्षित पद यथा 16/12 प्रतिशत का अभ्यांश पूर्ण हैं, तो अनारक्षित वर्ग के पदों पर उसका चयन उसके सेवा में प्रवेश की स्थिति की वरिष्ठता के आधार पर किया जावेगा और यदि उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का कार्मिक पदोन्नत हो रहा है, तो पहले उस आरक्षित वर्ग के कार्मिक को अनारक्षित पद के विरुद्ध पदोन्नत किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण का लाभ Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20–11–1997 व 24–06–2008 के अनुसार दिया जाता हैं। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना दिनांक 11–09–2011 के द्वारा राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2011 के द्वारा Rajasthan Police subordinate Services Rules 1989 के नियम 36 में निम्न परंतुक जोड़ा गया हैं–

Provided that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted, and adequacy of promotion is achieved.

Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

If on the application of these provisions the Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees who had been promoted earlier and are found in excess of the adequacy level, shall not be reverted and shall continue on ad-hoc basis, and also any employee who had been promoted in pursuance to Notification No. E-7(I) DOP/A-11/96 dated 1-4-1997 shall not be reverted.

Notification No. F-7(1)DOP/A-II/96 dated 1-4-1997 shall be deemed to have been repealed w.e.f. 1–4–1997 जो कि वरिष्ठता से संबंधित है।

आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की मूल वरिष्ठता के आधार पर पात्र एवं योग्य होने के मद्देनजर पदोन्नति नियमानुसार दी जाती है। आरक्षित वर्ग के पात्र राजसेवक को उसकी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 13.09.2013 को प्रदान किया गया निर्देश के बिन्दु संख्या–3 में निर्देशित किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है, किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना परिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा हैं, तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरुद्ध पदोन्नत किया जायेंगा। किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जायेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक के किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है, तो उसे कमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्ति पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है, तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 सेवा के समय अपीलार्थी से कनिष्ठ नहीं है तथा आरक्षित वर्ग का अभ्यांश पूर्ण होने के कारण अपीलार्थी पदोन्नति का पात्र नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021–22 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है। आदेश दिनांक 22. 09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021–22 की पदोन्नति पाठयक्रम हेतु चयन सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का

चयन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 हेतु उपलब्ध सभी 7 पद सामान्य संवर्ग हेतु उपलब्ध थे एवं आरिक्षत वर्ग हेतु निर्धारित अभ्यंश पदोन्नत पद पर पूर्ण था। पदोन्नति प्रक्रिया में 5 सामान्य एवं एक अनुसूचित जाति संवर्ग के व्यक्ति श्री रमन लाल को पदोन्नत किया। श्री रमनलाल की सेवा में प्रवेश के समय मूल वरिष्ठता उपर होने के कारण उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन किया गया है परन्तु अपीलार्थी (अनुसूचित जन जाति) सहायक उप निरीक्षक भर्ती पद कानिस्टेबल की मूल वरिष्ठता सूची में उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थी का पदोन्नति हेतु चयन नहीं होने के कारण अपीलार्थी का कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन नहीं किया जाकर वर्ष 2021–22 में जीआरपी रेंज के सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक अनारक्षित वर्ग का पात्र अभ्यार्थी नहीं होने पर 01 पद रिक्त रखा गया है। उपरोक्त प्रक्रिया चयन मण्डल द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में प्रदत्त प्रावधानानुसार की गयी है जिसमें अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक का चयन प्रचलित नियमानुसार नहीं किया गया है। मूल वरिष्ठता सूची में कार्मिक वरिष्ठ होने तथा अनारक्षित वर्ग के उससे कनिष्ठ कार्मिक का चयन होने से श्री रमन लाल सहायक उप निरीक्षक का अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध चयन किया गया है। श्री दलबीर सिंह का भी उसकी वरिष्ठता के अनुसार पात्र पाये जाने पर चयन किया गया है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.05.2024 में भी निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं:–

''यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग का अभ्यांश पूर्ण है, एवं उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक वर्तमान में प्रवेश के समय की मेरिट के आधार पर भी वरिष्ठ है, तो उसे अनारक्षित वर्ग की रिक्ति पर भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जावेगा। इस प्रकार आरक्षित वर्ग में होने वाले आधिक्य को भविष्य में समायोजित किया जावेगा।

सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्तवपूर्ण नहीं है कि यह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मेरिट के आधार पर।''

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)